न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—226/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/226)

1. रामदेव पुत्र बद्री जाति धाकड निवासी ग्राम अजगरा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. शंकर पुत्र बद्री जाति धाकड निवासी ग्राम अजगरा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।
3. देवीलाल पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अजगरा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भागचंद पुत्र सुगनचंद जाति जैन, निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. यशवीर चौहान घीसूलाल जाति मौची निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

4. गीता पुत्री बद्री
5. मनभर पुत्री बद्री
6. मसूर पुत्री बद्री
7. श्रीमती रमकू पत्नि ब्रदी
   समस्त जाति धाकड निवासी ग्राम अजगरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
8. श्रीमती नाथी पत्नि उदा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम अजगरा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.05.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड राजस्व वाद संख्या 356/2024.

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 से 8 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—21.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 356/2024 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट ने अप्रार्थी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, सरवाड के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया, प्रार्थीगण/अपीलांट के प्रकरण में दिनांक 17.10.2024 को मौका रिपोर्ट तलब कर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के द्वारा दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थीगण/अपीलांट आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 356/2024 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 से 8 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीक्षण/अपीलांट के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम–अजगरा, पटवार हल्का–अजगरा, तहसील–सरवाड, जिला अजमेर में स्थित आराजी खाता संख्या 410 खसरा संख्या 14 रकबा 01.76 है०, के रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार वर्तमान प्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 एवं त0रेस्पों० संख्या 4 लगायत 7 की है। खाता संख्या 210 खसरा संख्या 20 रकबा 01.09 है०, के रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार वर्तमान प्रार्थी/अपीलांट संख्या 3 एवं त०रेस्पों० संख्या 8 की है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार काबिज रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। जो ब्राम–भाटोलाव के रास्ते अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 14 एवं 20 में आने एवं जाने के लिए अप्रार्थी/रेस्पो० संख्या 1 के खसरा संख्या 1934/19 की दक्षिण दिशा की मेड एवं अप्रार्थी/रेस्पो० संख्या 2 के खसरा संख्या 1959/32 की उत्तरी मेड पर होकर वर्तमान प्रार्थीगण/अपीलांट एवं त०रेस्पों0 अपने खेतों में आने जाने एवं काश्त करने फसल लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है, जो अप्रार्थी/रेस्पो० की आराजी से लाता ले जाता हैं, जो अपीलांट एवं रेस्पो० की आराजी की सींव एक ही है, अर्थात सींवजोड है, किन्तु यह रास्ता नक्शा ट्रेस में कटा नहीं होने के कारण वर्तमान अप्रार्थीगण/रेस्पो० इस रास्ते से वर्तमान प्रार्थीगण/अपीलांट को आने जाने व उक्त आराजी पर साधन आदि लाने में बाधा उत्पन्न करते है तथा मौके पर तारबन्दी एवं पक्क निर्माण करने में आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता बाबत खसरा संख्या 1934/19 एवं खसरा संख्या 1959/32 की मेड पर 16 फिट रास्ता प्रार्थीाण/अपीलांट को अपनी खेत पर जाने के लिये डी.एल. सी. दर पर दिया जावे। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चयात प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा प्रार्थीगण/अपीलांट की मौजूदगी में रुबरु गवाहन की उपस्थिति में बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये ही जो प्रकरण वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके जिसको तलब किये बिना प्रार्थीगण/अपीलांट के न्यायहितों को मध्य नजर रखे ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के द्वारा प्रकरण के जवाब में अंकित कथनों के आधार एवं एकतरफा विरोधाभाषी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2024 का बिना अवलोकन किये बिना प्रकरण में खसरा संख्या 33 रकबा 0.41 है० गै० मु० बाबत अनुतोष ही नहीं चाहा गया, तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क में

उक्त आराजी अंकित नहीं होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी आधार के अंकन कर उक्त आराजी को अपने निर्णय में समाहित कर अपीलग्रस्त निर्णय पारित किया गया, जो न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थीगण/अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 14 एवं 20 के लिए अप्रार्थी/रेस्पो० की आराजी खसरा संख्या 1934/19 एवं 1959/32 की मेड में से रास्ता दिया जाना उचित व न्याय संगत है या नहीं बाबत कोई स्पष्ट निर्णय पारित नहीं किया गया किन्तु वैकल्पिक रास्ता बाबत जवाब के कथनों अनुसार निर्णय में अंकित कर निर्णय पारित किया गया। यहां यह भी कहना उल्लेखनीय है, कि खसरा संख्या 1934/19 एवं 1959/32 की मेड में से होकर प्रार्थीगण/अपीलांट अपनी आराजी पर आते जाते रहे है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के द्वारा अन्ये आराजी अंकित कर निर्णय दिया गया, उक्त आराजी से अपीलांट का कोई वास्ता ही नहीं है, उक्त आराजी के खातेदार प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है, क्योंकि आराजी खसरा संख्या 1934/19 एवं 1959/32 की मेड में से अपीलांट के खसरा नम्बरों के रास्ता बाबत प्रार्थीगण/अपीलांट एवं अप्रार्थी/रेस्पो० को सूचित कर रिपोर्ट तैयार करता तथा नजरी नक्शा तैयार करने से ही प्रकरण का निर्णय संभव था है, जो प्रार्थीक्षण/अपीलांट खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 14 एवं 20 में आने जाने का रास्ता उपयुक्त है, जो मात्र अप्रार्थी/रेस्पो० द्वारा जवाब में वैकल्पिक रास्ता का अंकन किया, जो बिना किसी दस्तावेज के आधार उपरोक्त कार्यवाही अमल लाई गई. जो वर्तमान प्रार्थीगण/अपीलांट के न्यायहितों पर कुठारानात करते हुए वर्तमान अप्रार्थी/रेस्पो० को अंवाछित रूप से लाभांन्वित करने की गरज एवं समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं धारा 251 (क) के कानून की मंशा के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के प्रकरण में वास्तविक मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07:2024 एवं ग्राम पंचायत अजगरा द्वारा जारी मौका पर्चा दिनांक 20.06.2024 से स्पष्ट स्वयं सिद्ध है कि अपीलांट की खातेदारी खसरा संख्या 14 एवं 20 में रेस्पों० के खसरा संख्या 1934/19 एवं 1959/32 की मेड में से आते जाते रहे है, मौका पर रास्ता है, किन्तु रेस्पों० तारबन्दी करने एवं पक्का निर्माण करने में उतारू है, जिससे स्वयं सिद्ध है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पों० को अवांछित लाभान्वित करने एवं एक किसान का रस्ता अवरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया, जो एक न्याय का हनन है, जबकि न्यायालय को दोनों पक्षों की उपस्थिति में रिपोर्ट तलब किये जाने किये जाने के बाद ही निस्तारण किया जाना चाहिए व न्यायालय को पूर्व कार्यवाही से सुन्तुष्ट नहीं थे, तो निर्णय से पूर्व पुनः भौतिक स्थिति की रिपोर्ट तलब कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, जो बिना किसी आधार के प्रकरण में जवाब में अंकित कथनो पर विश्वास कर प्रश्नाधीन निर्णय पारित किये हैं, जो निरस्तनीय हैं। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने प्रश्नाधीन आदेश जल्दबाजी में न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है, जो आक्षेपित आदेश पारित करते समय प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश फरमाया है एवं उनके द्वारा उक्त आदेश पारित करने के संबंध में कोई संतोषाजनक कारण भी उक्त आदेश में अंकित नहीं किये गये है, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में आदेश करने का कोई सकारात्मक व विधिसम्मत कारण आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं किया प्रक्रिया के तहत न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया है,

किसी भी प्रकरण को इस प्रकार न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना एवं स्वीकार व अस्वीकार करने का युक्तिसंगत कारण अंकित किये बिना आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रक्रिया नहीं है, विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वे प्रकरण के बाबत विशलेषणात्मक विवेचन करते हुये व स्पष्ट रूप से कारण अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र पर आदेश करते, इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक आदेश व आदेश आधार सहित व तर्क सहित होना चाहिये, अस्पष्ट तथा संदिग्ध आदेश अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये तथा आदेश स्पीकिंग होने चाहिये, साथ ही विधि द्वारा सुस्थापित स्थिति है कि न्यायिक आदेश अथवा आदेश पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दिवानी के आदेश 20 नियम 4 व 5 के तहत कारण अंकित करते हुये आदेश एवं आदेश पारित करना आज्ञापक है, अतः आक्षेपित आदेश सकारण आदेश न होने से उक्त विधिक प्रास्थिति के स्पष्टतः प्रतिकूल होने से प्रश्नगत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के द्वारा पारित आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है, जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, जो न्यायालय ने कतई ही अपना स्वविवेक लगाये बिना ही आदेश पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 356/2024 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलांट ने गलत, मिथ्या एवं मनगढन्त व तथ्य छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि अपीलांट के पास अपने खतेदारी खेतों पर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग मौके पर विद्यमान है जिससे ही अपीलांट/प्रार्थी पूर्वजों के समय से ही आवागमन करता है जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश रेस्पोडेन्ट के जवाब व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गयी मौका रिपोर्ट से स्वयं सिद्ध है। कानूनी रूप से कोई खातेदार धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तब आवेदन करेगा जब उसकी खातेदारी में कृषि कार्य करने के लिए कोई रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं हो व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो व खातेदार विधिक रूप से गैर मुमकिन रास्ते के खसरा नम्बर से बीच में पडने वाले सभी खसरा नम्बर से रास्ता लेने के अनुतोष के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपूर्ण आवेदन तथ्य छुपाते हुए पेश किया था क्योंकि अपीलांट/प्रार्थी ने जिस गैर मुमकिन रास्ते पर जाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया उस रास्ते पर पहुंचने से पहले गैर मुमकिन पाल के खसरा नम्बर 33 हैं जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है तथा मौके पर पाल बनी हुई है। कानूनी रूप से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से कानूनी रूप से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब देकर कथन किया कि जहां से अपीलांट ने रास्ता मांगा है वहां से अपीलांट कभी आता जाता नहीं है। अपीलांट ने तथ्य छिपाकर गैर

मुमकिन पाल के खसरा नम्बर 33 के तथ्य को छुपाते हुए व अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता है जो खसरा नम्बर 1959/32 में स्थित है जिसमें ग्रेवल रोड बनी हुई है अपीलांट ने सुविधा के लिए व रेस्पोडेन्ट की भूमि नष्ट करने व रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से झूठे कथनों पर अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के तथ्य को छिपाते हुए आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया रेस्पोडेन्ट के जवाब की ताईद राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट से भी भली भांति साबित है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 1934/9 के चारों ओर तारबन्दी करवा रखी है जो पुराने समय से है तथा आज भी मौके पर तारबन्दी मौजूद है। अपीलांट/प्रार्थी कभी भी रेस्पोडेन्ट की आराजी से आवागमन नहीं करते आये हैं। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 2 ने अपीलांट व अन्य पडौसी खातेदारों के खसरा नम्बर 20 व 14 में जाने हेतु ग्रेवल रोड के पश्चात उक्त आवासीय कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 30 का विक्रय पत्र बिना प्रतिफल लिये हुए खसरा नम्बर 20 के खातेदार देवीलाल गुर्जर के पुत्र के नाम पंजीबद्ध करवाया। वर्तमान में अपीलांट अपने खातेदारी खेतों से प्लाट संख्या 30 से होते हुए कॉलोनी की ग्रेवल रोड से ही आवागमन करते हैं जो रेस्पोडेन्ट के जवाब, राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से साबित है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता होने व धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि के तथ्य को छुपाते हुए अविधिक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों, नक्शा ट्रेस व तहसीलदार द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट व धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गए विधिक/कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए विधिक रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारों की बहस पर मनन करते हुए प्रकरण में दिनांक 01.05.2025 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

आराजी खाता संख्या 410 खसरा संख्या 14 रकबा 1.76 है0 के रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार वर्तमान प्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 एवं तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 7 की है। खाता संख्या 210 खसरा संख्या 20 रकबा 1.09 है0 के रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार वर्तमान प्रार्थी/अपीलांट संख्या 3 एवं तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 8 की है।

जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार काबिज रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। ग्राम भाटोलाव के रास्ते अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 14 एवं 20 में आने जाने के लिए अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 2 के खसरा नम्बर क्रमशः 1934/19 व 1959/32 के मध्य में से 16 फीट चौडे रास्ते का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से चाहा गया था।

भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 07.10.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट हैं कि *" खसरा नम्बर 14 व 20 तक जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 1934/19 की दक्षिणी मेड व 1959/32 की उत्तरी मेड के मध्य से बनता है। साथ ही परिवादी वर्तमान में खसरा संख्या 1959/32 में बनी ग्रेवल सडक पर से आना जाना कर रहे हैं। "* इससे यह बात स्पष्ट है कि अपीलांट की आराजीयात खसरा नम्बर 14 व 20 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1934/19 व 1959/32 ही सबसे नजदीक है तो फिर किस आधार पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक मार्ग का हवाला देते हुए खारिज किया गया। जब कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद था तो मौका रिपोर्ट में उक्त मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए था क्योंकि मौका रिपोर्ट बनाते समय यह आवश्यक है कि प्रकरण से संबंधित भूमि में पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है या नहीं उसका अंकन किया जाना आवश्यक है, परंतु उक्त मौका रिपोर्ट में इस बाबत कहीं कोई अंकन नहीं किया गया है।

अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नम्बर 1934/19 व 1959/32 में से अनुतोष चाहा गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **" प्रार्थीगण की आराजी तथा सूरजपुरा से भाटोलाव रास्ते के मध्य खसरा नम्बर 33 किस्म गै0मु0 पाल जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की है स्थित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। "** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की आराजी के मध्य खसरा नम्बर 33 किस्म गै0मु0 पाल के आधार पर खारिज किया गया जबकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा गै0मु0 पाल से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त गै0मु0 पाल को संयोजित कर उसके आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायायल द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 14 व 20 में आने जाने हेतु रास्त खसरा नम्बर 1934/19 व 1959/32 के मध्य में से चला आ रहा है तथा ग्राम पंचायत अजगरा द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि अपने मौका पर्चा में की गई है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 14 व 20 में आने जाने हेतु दो रास्ते के विकल्प सुझाए गए थे परंतु उक्त रास्ता जो कि खसरा नम्बर 26, 27, 29, 1737/35, 35, 20, 21 बताया गया इस रास्ते की लंबाई ज्यादा थी, परंतु खसरा नम्बर 1934/19 व 1959/32 जो कि लघुत्तम है तथा जिसे मौका रिपोर्ट में भी नजदीकी रास्ता बताया गया है, उसमें से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा इन रास्तों से प्रार्थी को रास्ता ही नहीं दिया गया फिर किस आधार पर इन रास्तों की डीएलसी दर निर्धारित कर मौका रिपोर्ट में अंकित की गई। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है जिसमें किसी उचित कारण बताए बिना ही प्रकरण में निर्णय पारित कर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 356/2024 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.09.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर